भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3681
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन

3681. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन भुगतान के लिए किया गया बजटीय आवंटन 2015-16 से लगभग 9,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष पर स्थिर बना हुआ है, जिसमें 2025-26 के बजट आंकलनों में केवल अल्प वृद्धि के साथ 9,652 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने पर सहायता में वास्तविक रूप से अनुमानित 9,200 रुपये करोड़ की गिरावट आई है; और

(ख) सरकार द्वारा इस तथ्य के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कुल केंद्रीय बजट में एनएसएपी का भाग 2014-15 में 0.58% से घटकर 2025-26 में केवल 0.19% रह गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या की अधिकतम सीमा वर्ष 1995 में इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही लागू है। एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम सीमा को पिछली बार 2001 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों और 2004-05 के गरीबी अनुपात के आधार पर 2011-12 में संशोधित कर 3.09 करोड़ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां लाभार्थियों की डिजिटाइज्ड संख्या या राज्य सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत सहायता की दर 2012 से अपरिवर्तित बनी हुई है।

(ख) विभिन्न अनुशंसाओं और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर 15वें वित्त आयोग की समयावधि (2021-26) के लिए एनएसएपी को जारी रखने हेतु एनएसएपी में सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंड, सहायता दर और राज्यों के साथ साझेदारी में संशोधन भी शामिल था। हालाँकि, सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का अनुमोदन प्रदान कर दिया था। इसलिए, एनएसएपी के अंतर्गत 2014-15 से वार्षिक समग्र बजट परिव्यय, लाभार्थियों

की कुल संख्या और सहायता दर के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार मांगा गया है।

*****